धारा 55 : कतिपय मामलों में प्रतिदाय

सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कन्सुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो ऐसे निर्बंधनों और शर्तों, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की अधिसूचित पूर्ति पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने का हकदार होंगे।

उपयुक्त नियमः नियम 82, 95

उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटीआर–11, जीएसटी आरएफडी–10, जीएसटी आरएफडी–10क